

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

शुद्धि पत्र

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-5469 दिनांक 03.04.2013 की अंग्रेजी पाठ की कंडिका-2(a) में उल्लेखित "Those officers whose A.C.Rs. of **last year** are not found satisfactory for the purpose of promotion shall not be included in the list of eligible officers." के स्थान पर "Those officers whose A.C.Rs. of **last five years** are not found satisfactory for the purpose of promotion shall not be included in the list of eligible officers." पढ़ा जाय।

2. जबकि अधिसूचना संख्या-5469 दिनांक 03.04.2013 की हिन्दी पाठ की कंडिका-2(a) में निम्नरूपेण है:-

"वैसे पदाधिकारियों, जिनका विगत पाँच वर्षों का चारित्री प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ संतोषजनक नहीं पाया जाता हो, योग्य पदाधिकारियों की सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।"

ह0/-

(रामेश्वर प्रसाद दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था01-3-01/2010सा0प्र0.....¹⁷³⁶³...../पटना-15, दिनांक.....¹⁷⁻¹²⁻¹⁴.....


प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को (दो प्रतियों में) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था01-3-01/2010सा0प्र0.....¹⁷³⁶³...../पटना-15, दिनांक.....¹⁷⁻¹²⁻¹⁴.....

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, विधि विभाग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-3, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।

12
6
ਮਾਇਕਾ ਕੰਮਪਲ